न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 46/2019
निर्णय दिनांक : 23.09.2021

1. छीतर मल पुत्र हुक्मा
2. नानूराम पुत्र हुक्मा
3. प्रकाश चन्द पुत्र हुक्मा
4. बिरधीचन्द पुत्र हुक्मा
5. रामचन्द पुत्र भगवान
6. सरजू पत्नी भगवान

समस्त जाति कुम्हार, निवासीगण ग्राम दहमीकलॉं, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र तेजा
2. कानाराम पुत्र हनुमान
3. गोरूराम पुत्र हनुमान
4. जगदीश पुत्र नोला
5. जोहरीलाल पुत्र हनुमान
6. पोखर पुत्र हनुमान
7. राधा पत्नी स्व. हनुमान
8. रामूलाल पुत्र हनुमान
9. लालाराम पुत्र तेजा
10. हरदेवराम पुत्र तेजा
11. हीरालाल पुत्र तेजा

समस्त जाति कुम्हार, निवासीगण ग्राम दहमीकलॉं, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

12. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोनर, पता तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

निर्णय

<u>प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 303 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.91 हैक्टेयर वाके ग्राम दहमीकलां, पटवार हल्का दहमीकलां, भू.अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र टीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित [illegible] जिसके प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के [illegible] हेतु प्रार्थीगणद्वारा प्रार्थना पत्र श्रीमान उप तहसीलदार बगरू [illegible] के यहां पर प्रस्तुत किया गया, जिस पर श्रीमान उप तहसीलदार जी [illegible] तहसील बगरू के आदेश क्रमांक/एल.आर./333 दिनांक 27.05.2019 की पालना [illegible] हल्का पटवारी मौके पंहुच गया, मौके पर पडौसी काश्तकार की दखलंदाजी के कारण झगडे की स्थिति पंहुच गयी, जिस कारण सीमाज्ञान की कार्यवाही बीच में रोक दी गयी। अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:44:59 IST
Reason: SelfAttested

लगायत 11 प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 303 व 304 के उत्तरी साईड स्थित भूमि खसरा नम्बर 302 के काश्तकार है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 आये दिन उक्त कृषि खसरा नम्बर 303 व 304 की सीमा पर विवाद करता है, प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि की सीमा पर नाजायज रूप से सीमा विवाद उत्पन्न मौके पर अशान्ति फैलाते है इस कारण प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी किया जाना कानूनन आवश्यक एवं उचित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 303 व 304 पर सीमाज्ञान की पूर्ण कार्यवाही एवं पत्थरगढी करवाना चाहते है जिसमें यह अपनी आराजीयात के चारों तरफ तारबन्दी/पुख्ता बाउण्ड्री आदि कर अपनी आराजीयात को सुरक्षित कर सके तथा भविष्य में सीमाज्ञान व पत्थरगढी के लिए पडौसी काश्तकार से किसी प्रकार का विवाद नही हो, मौके पर शान्ति कायम हो सकें, इसलिए उक्त भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं उचित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 झगडालू किस्म के व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी नही होने देना चाहते है, जबकि प्रार्थीगण अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के पूर्ण हकदार एवं अधिकारी है, मौके पर झगडे की सम्भावना होने के कारण पुलिस इमदाद द्वारा पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 303 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.91 हैक्टेयर वाके ग्राम दहमीकलां, पटवार हल्का दहमीकलां, भू.अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र टीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की जरिये पुलिस इमदाद द्वारा पत्थरगढी किये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 12 को फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 26.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की ओर से श्री राजेशराज चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 12 का नोटिस तामिल शुदा प्राप्त। दिनांक 13.02.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 05.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 का जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली को बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 23.09.2021 को उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

हमने बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 303 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.91 हैक्टेयर वाके ग्राम दहमीकलां, पटवार हल्का दहमीकलां, भू.अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र टीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में ... सीमाज्ञान–रिपोर्ट आदेश दिनांक 12.07.2019 के अनुसार मुताबिक सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:44:59 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर